

**Memorandum from Co-Ordination Committee Beas Electricity Workers Union, Chandigarh**

5875 SHRI B S BHAURA Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state

(a) whether Government have received any memorandum from the Co-ordination Committee Beas Electricity Workers Union Chandigarh

(b) if so the gist thereof and

(c) action taken by Government thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BALGOVIND VERMA) (a) Yes Sir

(b) The memorandum contains the following demands

(i) Bonus at 8 3/3 per cent for the year 1971-72

(ii) Electricity concession

(iii) Ex gratia payments and

(iv) Project allowance to all the employees from the date of formation of the various offices (including those posted at Chandigarh)

(c) These demands were considered in February 1973 by the Standing Committee of the Beas Construction Board and the concerned employees can now either opt for drawing Electricity Board Allowance @ 8 3/3 per cent in lieu of Bonus plus Electricity concession with effect from 1st October 1972 or 4 per cent Electricity Board Allowance in lieu of Bonus plus Terminal Benefit. The ex-gratia payment at the rate of 1 per cent as sanctioned by the Punjab State Electricity Board to their employees during the year 1969-70 and 7 days wages to Haryana State Electricity Board employees as sanctioned by their parent Board has also been approved for the employees drawn from these two Boards and working on the Beas Project

**मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्रों में ताप बिजलीघरों की स्थापना**

5876 श्री नाथूराम अहिरवार : क्या सिन्हाई और बिद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त कायला बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में उपलब्ध है

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कायला क्षेत्रों में ताप बिजलीघर स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से बार-बार अनुरोध किया है और

(ग) यदि हाँ तो इस मामले में कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

सिन्हाई और बिद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोकुण्ड वर्मा) (क) जी, हाँ। उचित उत्पादन के लिए उपयुक्त अधिकांश घटिया किस्म के कायले का बृहत भण्डार मध्य प्रदेश में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) राज्य में कोयला खानों के निकट ताप-बिद्युत् केंद्रों की स्थापना करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। समकटक और कोर्बा पर विस्तार (3 × 120 मैगावाट) स्वीकृत किये जा चुके हैं और इन पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सतपुड़ा तथा मिर्जापुर खानों के निकट बृहत् ताप-बिद्युत् केंद्रों की स्थापना के लिए परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा उनकी जांच की जा रही है। कोयला-खानों के निकट बृहत् ताप-बिद्युत् केंद्रों की स्थापना करने के वास्ते स्थलों का चयन करने के लिए

सरकार ने एक समिति की भी नियुक्ति की है तथा इस समिति से मध्य प्रदेश में दो उपयुक्त स्थलों का चयन करने के लिए कहा गया है।

**राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से विद्युत् का उत्पादन**

5877. श्री नाथुराम अहिरवार : क्या सिन्हाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्रों में उत्पादित विद्युत् को राष्ट्रीय ग्रिड से दूरस्थ स्थानों पर विद्युत् सप्लाई की तुलना में दूरस्थ स्थानों पर कोयला ले जाकर बिजली का उत्पादन बहुत महंगा पड़ता है; और

(ख) यदि हा, तो राष्ट्रीय ग्रिड द्वारा सस्ती तथा पर्याप्त बिजली के उत्पादन तथा सप्लाई करने में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

**सिन्हाई और विद्युत् मंत्रालय में उपसत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :** (क) केन्द्रीय जल और विद्युत् प्रायोग में किये गये तकनीकी आर्थिक अध्ययनों से पता चलता है कि प्रपुंज विद्युत् के बहुत् पारेषण और कोयले के बहन की सापेक्ष अर्थव्यवस्था अनेक घटकों पर निर्भर करती है और उसमें बहुत घट-बढ़ होती है। यह सामान्य परिणाम निकालना ठीक नहीं होगा कि भाग केन्द्रों पर स्थित विद्युत् केन्द्रों की अपेक्षा पिट-हैड विद्युत् केन्द्र हमेशा बेहतर होते हैं।

(ख) बहुत् ताप-विद्युत् केन्द्रों के प्रतिष्ठापन के लिए उपयुक्त स्थलों जो कोयला क्षेत्रों के निकट हों तथा जहाँ शीतलन जल की यथेष्ट आपूर्ति हो, के संबंध में पर्याप्त अन्वेषण करने होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, ऐसे बहुत् ताप विद्युत् केन्द्रों का आयोजन तथा अभिकल्पित में पर्याप्त समय आता है। ताप विद्युत् केन्द्रों में प्रतिष्ठापित होने वाले देशी उपस्कर की आपूर्ति के लिए डिलिवरी की एक लम्बी अवधियों की आवश्यकता होती है। खानों की उत्पादन क्षमता का भी आयोजन और समन्वय करना होता है ताकि विद्युत् केन्द्रों के लिए कोयला समय पर उपलब्ध हो सके। 400 के०वी० अतिरिक्त उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों के लिए देशी उपस्कर देश में अभी तक उपलब्ध नहीं है और इसे केवल पांचवी योजना में ही विकसित किया जा सकेगा।

**Allotment of Land near Delhi to Co-operative Housing Societies of Railwaymen**

5878. SHRI NATHU RAM AHIRWAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is the policy of Railway Ministry to stimulate the growth of house building activities amongst the Railwaymen, and

(b) if so, whether his Ministry has any scheme to allot the surplus Railway land in Delhi Area or near Delhi to the Co-operative Housing Societies of the Railwaymen?

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI):** (a) Yes.